

क्रम-संख्या--70



राज.नं.ए.सं.अ.सं./एन.पी. 896

साहसंस् नं० अ.सं० पी०-4।

साहसंस् टू पॉस्टर एंटे कल्सॉद्यमस एंटे

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड, (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 मार्च, 1999

चैत्र 3, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 780/सत्रह वि-1-1 (क) 28-1998

लखनऊ, 24 मार्च, 1999

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग विधेयक, 1999 पर दिनांक 24 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

गाय और गाय के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण के लिए गो-सेवा आयोग की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुवंशिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1998 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में;

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग से है;

(ख) "गाय" का तात्पर्य गाय और गाय के बंध से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(घ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं;

(ङ) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 या उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनमें उनके लिए समनुदेशित हैं।

आयोग की  
स्थापना

3—(1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सम-नुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार, अधिसूचना द्वारा, लखनऊ में एक निकाय की स्थापना कर सकेगी जिसे उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग के रूप में जाना जायेगा।

(2) आयोग एक विनियमित निकाय होगा।

आयोग का गठन

4—(1) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) सरकार का सचिव, पशुपालन विभाग	पदेन सदस्य
(ख) सरकार का सचिव, वित्त विभाग	तद्वैव
(ग) सरकार का सचिव, कृषि विभाग	तद्वैव
(घ) सरकार का सचिव, वन विभाग	तद्वैव
(ङ) सरकार का सचिव, दुग्ध विकास विभाग	तद्वैव
(च) सरकार का सचिव, राजस्व विभाग	तद्वैव
(छ) पुलिस महाविदेशक, उत्तर प्रदेश	तद्वैव
(ज) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश	तद्वैव

(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट पन्द्रह गैर सरकारी सदस्य, अर्थात् :—

(एक) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ का एक प्रतिनिधि;

(दो) गाय के परिरक्षण, विकास और कल्याण के लिए राज्य में कार्यरत राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के एक प्रतिनिधि;

(तीन) राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों के ऐसे एक प्रतिनिधि, जो पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन विभाग के या कृषि विज्ञान विभाग के संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष हों;

(चार) बारह व्यक्ति, जो राज्य में गाय के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयं सेवी संगठनों से सम्बन्धित हों;

(पाँच) आयोग, ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने गाय के कल्याण के लिए विशिष्ट सेवा की हो, पाँच सदस्य सहयोजित कर सकेंगे, जिन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

(2) आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे।

(3) किसी गैर सरकारी सदस्य की मृत्यु होने, त्याग-पत्र देने या अनर्ह हो जाने या पदाधि की समाप्ति के पहले कार्य करने के अयोग्य हो जाने की दशा में, ऐसे पद की रिक्ति हुई समझी जायगी और ऐसे रिक्ति को सदस्य के रूत में किसी व्यक्ति के नाम-निर्देशन द्वारा भरा जायेगा जो अपने पूर्व-अधिकारी की शेष पदाधि के लिए पद धारण करेगा।

5—(1) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नाम-निर्देशन के लिए पात्र होगा।

(2) गैर सरकारी सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जैसे विहित किये जायें।

(3) कोई गैर सरकारी सदस्य सरकार को सन्तोषित करने हेतु अथवा सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसे त्याग-पत्र की स्वीकृति पर तब समाप्त जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(4) सरकार किसी गैर सरकारी सदस्य को पद से हटा देगी यदि वह—

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाय;

(ख) किसी अपराध के लिए, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्भूत हो, सिद्ध हो जाय;

(ग) विकृतचित्त हो जाय और किसी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय;

(घ) कार्य करने से इंकार कर दे या कार्य करने में अयोग्य हो जाय;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किए बिना, आयोग की निरन्तर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे; या

(च) सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना या के हित या लोक हित के लिए हानि कारक हो जाय।

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अन्तर्गत हटाया नहीं जायेगा जब तक उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

6—कोई व्यक्ति गैर सरकारी सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किए जाने और गैर सरकारी सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

(क) आयोग के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो।

(ख) विकृतचित्त हो जाय और किसी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय; या

(ग) अनुमोचित दिवालिया हो जाय; या

(घ) स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा या किसी भागीदार, सेवा योजक या कर्मचारी द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आयोग के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई हित रखता हो, चाहे वह धन संबंधी हो या किसी अन्य प्रकृति का हो; या

(ङ) किसी ऐसे नियमित निकाय या किसी सरकारी उन्नति का, जिसका आयोग के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित हो, निदेशक या सचिव या सदस्य या अन्य वेतन भोगी अधिकारी हो; या

(च) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्भूत हो, सिद्ध हो जाय।

परन्तु कोई व्यक्ति मात्र सदस्य होने के कारण और धारा-5 की धारा (2) के अधीन भत्ता प्राप्त करने के कारण खण्ड (क) के अधीन अनर्ह नहीं होगा।

7—(1) सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करायेंगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्वहन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

सदस्यों की पदाधि और उनके भत्ते

गैर सरकारी सदस्य होने के लिए अनर्हतायें

आयोग के अधि-कारी और अन्य कर्मचारी

बेतन और मत्त  
का भूगतान  
आयोग की निधि  
से किया जाना

रिक्तियों इत्यादि  
से आयोग की  
कार्यवाही अविधि-  
मान्य नहीं होगी

आयोग की प्रक्रिया

आयोग के कृत्य  
और उसकी  
शक्ति या

8—गैर सरकारी सदस्यों को देय मत्त और प्रशासनिक धन्य जिसमें धारा-7 निविष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय बेतन, मत्त और पेंशन भी सम्मिलित का भूगतान धारा-12 में निविष्ट निधि से किया जायगा।

9—आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही आयोग के गठन में केवल कोई रिक्त या भ्रू होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

10—(1) आयोग जब आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और निदेशक्य सचिव या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्पत् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे।

11—(1) आयोग निम्नलिखित समस्त या किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्:—

(एक) उत्तर प्रदेश गोबध-निवारण अधिनियम, 1955 और गोशालाओं, काजी हाऊसों, पशुमंजों और पशु बाजारों, चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, को शासित करने वाली विधियों के किसी उपबन्ध के अधिक्रियत अतिरक्षण की, स्वप्रेरणा से या शिकायत पर, जांच करना और उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना;

(दो) राज्य में गाय के कल्याण के लिए कार्य करना;

(तीन) गाय के गोबर और मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग के लिए इस प्रकार कार्य करना जिससे मूदा उर्वरकता सहित कृषि और घरेलू उपयोग में उसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके;

(चार) गोशालाओं की प्रोन्नति और सहायता के लिए कार्य करना;

(पांच) निष्क्रिय गोशालाओं को सक्रिय बनाना;

(छ) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के उपबन्धों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण में, वित्तीय सहायता प्रदान करने, गाय की विभिन्न नस्लों के वैज्ञानिक प्रजनन के क्षेत्र में तथा गाय के गोबर और मूत्र का कृषि क्षेत्र और घरेलू उपयोग के क्षेत्र में समुचित उपयोग, जिसमें गाय के गोबर पर आधारित बायो-गैस संयंत्रों का बढ़ाया जाना और उपयोग भी सम्मिलित है, के लिए प्रशिक्षण देने के प्रयोजनों के लिए, गाय के स्वैच्छिक संघटनों द्वारा स्थापित और चलाई जा रही गोशालाओं के कामकाज तथा कार्य में सहायता करना;

(सात) आयोग या सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों और गोशालाओं और अन्य स्वैच्छिक संघटनों की संपत्तियों के अछद्मपूर्ण अपयोजन को रोकने के लिए गोशालाओं पर पर्यवेक्षण करना और समुचित कार्यवाही के लिए निविष्ट सद्व्यवहार को सरकार की नोटिस में लाना;

(आठ) चरागाहों का विकास करना और उक्त प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थाओं और निकायों से, चाहे निजी हो या सार्वजनिक, सहयुक्त होना;

(नौ) सरकार या अन्य व्यक्तियों से चरागाह विकसित करने या चारा उगाने या चारा बँकों, गोशालाओं और ऐसे अन्य निर्माणों, जैसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों, की स्थापना करने के प्रयोजन के लिये आवंटन, उण्हार, पट्टा या ऋण के द्वारा भू-भाग के लिये आवंटन करना और उन्हें प्राप्त करना;

(दस) गाय से प्राप्त किये जा सकने वाले आर्थिक लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, अभियान चलाना और उन्हें जागरूक करना;

(ग्यारह) दुग्ध, सूखा और अन्य प्रकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में गाय के लिये चारा उत्पादक उपलब्ध कराना और ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में उपयुक्त प्रयोजन के लिये शिविर लगाना;

(बारह) कृषि विश्वविद्यालयों या गाय के प्रजनन और पालन-पोषण और जैव खाद या बायो-गैस के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य में लगे सरकारी संगठनों के सहयोग से कार्य करना और चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये गाय के जैविक उत्पादन पर अनुसंधान करने के लिये विभिन्न सार्वजनिक या निजी संगठनों द्वारा संचालित भारतीय चिकित्सा पद्धति की अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग करना;

(तेरह) गाय की स्वदेशी प्रजाति की गच्छी नस्लों को हाथों की उत्पन्न करने और चारा उत्पात करने के प्रयासों में गोशालाओं की सहायता करना और वर्तमान गोशालाओं को ऐसे स्थान पर अवस्थित करने में सहायता करना जहां प्रचुर मात्रा में सुगमता पूर्वक चारा और पानी उपलब्ध हों ;

(चौदह) जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना को बढ़ावा देना और सरकार से उचित उपायों की सिफारिश करना, जिनमें रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं को कम करने के लिए किसानों द्वारा जैविक खाद और कीटनाशक दवाओं के रूप में नाय के गोबर और मूत्र के प्रयोग से सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना सम्मिलित है और हाल में विकसित किए गए बैल द्वारा खींचे जाने वाले कृषि उपकरणों और बैल गाड़ियों के निर्माण और प्रयोग को प्रोत्साहित करना ;

(पन्द्रह) चारा विकास योजनाओं का विम्वल लेना ;

(छोलह) तत्समय प्रदत्त विधि के अनुसार सम्यक् प्राधिकार के पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय निकायों, ग्रन्थ सभ्य प्राधिकारियों या न्यायालयों से परित्यक्त लावारिस छोड़ी गई अर्थात् या अभिगृहीत गाधों को अचिरका में लेना और उचित रूप से उनका अनुरक्षण करना या समुचित रूप से उनका अनुरक्षण कराना ;

(सत्रह) ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के दूध, गाय के गोबर, गो-मूत्र, बँलों की भार-वाहक शक्ति और गाय के बायो-गैस उत्पाद द्वारा ऊर्जा उत्पादन पर आधारित, इसी प्रकार विभिन्न उत्पादों के निर्माण के प्रयोजनों के लिए स्वाभाविक रूप से मूत गाधों के चमड़े एवं हड्डियों पर आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार के विचारार्थ योजना बनाना और प्रस्तुत करना ;

(अट्ठारह) गाय की स्वदेशी प्रजातियों, कार्वनिक खेती, बँलों द्वारा खींचे जाने वाले विकसित कृषि उपकरणों और गाड़ियों के विकास से सम्बन्धित निदेशनों, सभाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना और दूरदर्शन, रेडियो, संगोष्ठियों, सभाओं और निदेशनों के माध्यम से गाय ले होने वाले लाभों के सम्बन्ध में प्रचार और प्रसार कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करना और उनसे सम्बन्धित बीडियो, आडियो कॅसेट और साहित्य प्रकाशित और वितरित करना ;

(उन्नीस) गोशालाओं या ग्रन्थ गैर सरकारी संगठनों के प्रदर्शकों और कर्मचारी दूध को पशुपालन और उनके प्रदर्श के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराना ;

(बीस) सरकार द्वारा उसे निदिष्ट कन्य किसी दिव्य का परीक्षण करना और उस पर अपनी रिपोर्ट देना ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन हेतु आयोग को समर्थ बनाने के लिए, आयोग:—

(क) को बड़ी शक्ति प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को उपस्थित होने और शपथपूर्वक दयान देने के लिए बाध्य करने, किसी व्यक्ति को अभिलेखों और लेखा बहियों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने और किसी व्यक्ति के दयान को अभिलिखित करने और किन्हीं अभिलेखों या लेखा बहियों का निरीक्षण करने हेतु आयोग जारी करने के लिए किसी न्यायालय को प्राप्त है ;

(ख) निम्न-भिन्न स्तरों पर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करते हुए समितियाँ गठित कर सकता है और उन्हें समय-समय पर निर्देश जारी कर सकता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकता है ;

(ग) सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी व्यक्ति को अर्थात्निक गोरक्षक के रूप में पदाभिहित करते हुए उसे पहचान पत्र जारी कर सकता है जो ऐसे पत्र में और ऐसी शक्ति के लिए और गाय से संबंधित ऐसे अंशकालिक क्रिया कलाओं के अनुसरण के प्रयोजनों के लिए होगा जैसा विहित किया जाय ;

(घ) राज्य में गाय से सम्बन्धित प्रदत्त विभिन्न अधिनियमों और तदधीन बनाये गये नियमों का पुनर्विलोकन करेगा और उनमें संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता है ;

(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन पूर्वक सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर सरकार उसे समुचित बल उपलब्ध करा सकेगी ।

सरकार द्वारा अनुदान

12—(1) सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस विधित्त विधि द्वारा कि सम्बन्ध विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों के लिए उपयोग किये जाने के अनुदान के रूप में धन को देना चाहे, किन्तु सरकार उचित समझे, आयोग को सुगमता के (2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसी जैसी वह उचित समझे, धन कर सकता है और ऐसी धन को उपबन्ध (1) में वि अनुदान के रूप में समझा जायेगा।

लेखा सीट लेखा परीक्षा

13—(1) आयोग अनुदान लेखा और अन्य सुगमता अधिनियमों को रद्द करना और एक वार्षिक विवरण देना प्रारंभ में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, कि (2) आयोग के लेखा को लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा की जायगी ज ऐसे आदेश पर जैसा विहित किया जाय, की जायगी। (3) लेखा परीक्षक को यहियां, लेखा, बाउन्स और अन्य दस्तावेजों और पत्राचार प करने की सज्जा करने और आयोग के कर्तव्य कार्यालय का निरोक्षण करने के लिए ऐसी सक्ति होगी जैसी विहित की जाय।

वार्षिक विवेक

14—आयोग, आयोग विधीय बने के लिए एक प्रवृत्त में और ऐसे अवसर पर जैसा विहित किया जाय वार्षिक विवेक उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कर्तव्य कर्तव्यों का पूर्ण विवरण देते हुए, तैयार करेगा और सजाती एक प्रति सरकार को उपस्थित करेगा।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायगी रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का रखा जाना

15—सरकार धारा 12 के अधीन आयोग द्वारा की गयी सहाय पर की गयी कार्य-वाही और किसी ऐसी सहाय की प्रवृत्त करे, यदि कोई भी, के कारण के कारण के साथ विधान मंडल के दोनों सदस्यों के धन उद्धार करेगा।

आयोग के अध्यक्ष, अध्यक्ष और कर्म-चारी लोक सेवक होंगे

16—पारतीय हाई कोर्ट के धारा 21 के अधिनियम के अधीन, अध्यक्ष और कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे।

आयोग की विधि

17—(1) आयोग का धन का धरणी विधि होगी और आयोग की संपत्त सम्पत्तियों सम्पत्तियों को धरणी और आयोग द्वारा समस्त सुगमता उद्यमों से किये जायेंगे। (2) आयोग,—

- (क) सम्पत्तियों को विधीय प्रवृत्तारी और निजी या लोक संपत्तियों और व्यक्तियों से अनुदान, आवधिक सहायता, धन और उपहार स्वीकार कर सकता है, और (ख) इस अधिनियम के समी या किन्हीं प्रवृत्तियों के लिए वाणिज्यिक बैंकों या किन्हीं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकता है। (3) आयोग की विधि के सम्बन्धित समस्त धन, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, सजा किया जायगा। (4) बैंकों के आयोग के लेखे, आयोग के ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा जैसा आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाय संपुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से संचालित किये जायेंगे।

आयोग की विधि और सम्पत्ति का अनुदान

18—(1) आयोग की सम्पत्त सम्पत्तियों, विधियों और अन्य धारित्तों, उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रवृत्तियों के लिए धारित्त और उपयोगित की जायेंगी। (2) आयोग द्वारा कोई ऐसा धरणाव विधीय प्रवृत्तारी प्रवृत्तारी हो, तब तक अनुमानित, स्विकृत या कार्यान्वित नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे प्रस्ताव का विधि रीति से सम्पत्त का अधिनियम विधि द्वारा उद्देश्य परीक्षण न कर दिया जाय।

सरकार द्वारा विवेक

19—(1) आयोग अपने कर्तव्य के निर्वहन में जो विधीय विधीय प्रवृत्त पर ऐसे विधीयों द्वारा जैसा सरकार द्वारा उद्ये दिन जाय, मार्ग-निर्दिष्ट होगा। (2) यदि सरकार और आयोग के बीच कोई ऐसा विधीय कि कोई प्रवृत्त विधीय प्रवृत्त है, या नहीं तो उस पर सरकार का विधीय प्रवृत्त होगा।

20—किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तदनुगत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, तब तो कोई न्याय या अभियोजन प्रस्तुत किया जायगा और तब मात्र विधिक कार्यवाही की जायगी।

सूचना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

21—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावहीन बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि की अवधि के अन्तर्गत, उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश क्याञ्चप भी राज्ज विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण जण्ड अधिनियम, 1964 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत लागू होते हैं।

22—आयोग सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के संगत विनियमन बना सकता है।

विनियमन बनाने की शक्ति

23—सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

24—(1) उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अध्यादेश, 1998 एवं उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसित और खपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी बशर्त कि इस अधिनियम के उपबन्ध सभी कार्रवान समय पर प्रयुक्त ह।

साजि ए,  
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,  
प्रमुख सचिव।

No. 780 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-23-1998

Dated Lucknow, March 24, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 24, 1999.

THE UTTAR PRADESH GO-SEVA AYOG ADHINIYAM, 1999  
(U. P. ACT NO. 15 OF 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN  
ACT

to establish a Go-Seva Ayog for preservation, development and welfare of the cow and its progeny and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1999.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Short title, extent and commencement

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint in this behalf.

## Definitions

2. In this Adhiniyam,—

(a) "Ayog" means the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog established under section 3;

(b) "Cow" means cow and its progeny;

(c) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(d) "member" means a member of the Ayog and includes the Chairperson and Vice-Chairperson of the Ayog.

(e) words and expressions used and not defined in this Adhiniyam but defined in the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 or, as the case may be, the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964 shall have the meanings assigned to them therein.

## Establishment of the Ayog

3. (1) The Government may, by notification, establish at Lucknow a body to be known as the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Adhiniyam.

(2) The Ayog shall be a body corporate.

## Constitution of the Ayog

4. (1) The Ayog shall consist of the following members:—

(a) Secretary to the Government in the Animal Husbandry Department,

*Ex-officio member*

(b) Secretary to the Government in the Finance Department,

"

(c) Secretary to the Government in the Agriculture Department,

"

(d) Secretary to the Government in the Forest Department,

"

(e) Secretary to the Government in the Dairy Development Department,

"

(f) Secretary to the Government in the Revenue Department,

"

(g) Director General of police, Uttar Pradesh,

"

(h) Director, Animal Husbandry Department, Uttar Pradesh.

"

(i) fifteen non-official members nominated by the Government from amongst the following persons, namely:—

(i) one representative of the Uttar Pradesh Goshala Sangh established under the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964;

(ii) one representative of national level institutions working in the State for the preservation, development and welfare of cow;

(iii) one representative of Agricultural Universities in the State who shall be the Dean or the Head of the Department of Veterinary Science and Animal Husbandry or the Department of Agriculture Science;

(iv) twelve persons, belonging to voluntary organisations engaged in the welfare, preservation and protection of cow in the State;

(j) Ayog may co-opt five members from amongst persons having done outstanding service for the welfare of cow who shall have no right to vote.



(2) The Chairperson and the Vice-Chairperson of the Ayog shall be nominated by the Government from amongst the non-official members.

(3) In the event of death, resignation or disqualification of a non-official member or of his becoming incapable of acting before the expiry of his term, a vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled by nomination of a person thereto as member who shall hold office for the remainder of the term of his predecessor.

5. (1) Every non-official member shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-nomination.

Term of office and allowances of members

(2) There shall be paid to the non-official members, Chairperson and Vice-chairperson such allowances as may be prescribed.

(3) A non-official member may, by writing under his hand addressed to the Government, resign his office at any time and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

(4) The Government shall remove a non-official member from office if he—

(a) becomes an undischarged insolvent ;

(b) is convicted for an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court ;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting ;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Ayog, absent from three consecutive meetings of the Ayog; or

(f) has, in the opinion of the Government, so abused his position as to render his continuance in office detrimental to the interest of cow or the public interest :

Provided that no person shall be removed under this clause until he has been given an opportunity of being heard in the matter.

6. A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a non-official member, if he—

Disqualifications for being non-official member

(a) holds any office of profit under the Ayog ;

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) is an undischarged insolvent ; or

(d) has directly or indirectly by himself or by any member of his family or by any partner, employer or employee acquired any interest whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with, by or on behalf of, the Ayog ; or

(e) is a Director or a Secretary or a member or other salaried officer of any corporate body or any co-operative society, which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Ayog ; or

(f) has been convicted of an offence involving moral turpitude:

Provided that a person shall not, be disqualified under clause (a) by reason only of his being a member and receiving any allowance under sub-section (2) of section 5.

7. (1) The Government shall provide the Ayog with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Ayog.

Officers and other employees of the Ayog

(2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of the service of, the Secretary and the other officers and employees appointed for the purposes of the Ayog shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of the Fund of the Ayog

Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the Ayog

Procedure of the Ayog

8. The allowances payable to non-official members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 7, shall be paid out of the Fund referred to in section 12.

9. No act or proceeding of the Ayog shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Ayog.

10. (1) The Ayog shall meet as and when necessary at such time and place as the Chair person may think fit.

(2) The Ayog itself shall regulate its procedure.

(3) All orders and decisions of the Ayog shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Ayog duly authorised by the Secretary in this behalf.

Functions and powers of the Ayog

11. (1) The Ayog shall perform all or any of the following functions, namely :—

(i) enquire into, *suo motu* or on complaint an alleged violation of any provision of the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the laws governing the Goshalas, cattle pounds, cattle fairs and cattle market by whatever name called and to submit its report to the Government;

(ii) work for the welfare of cow in the State;

(iii) work for the scientific use of dung and urine of cow so as to enhance their utility in the sphere of agriculture including soil fertility and domestic use;

(iv) work for promotion of and assistance to Goshalas;

(v) activate defunct Goshalas;

(vi) in addition to, and not in derogation of, the provisions of the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964; assist in the working and functioning of the Goshalas, established and run by the voluntary organisations, for the purposes of providing financial assistance, training in the field of scientific rearing of various breeds of cow as also for the proper utilisation of dung and urine of the cow for agriculture and domestic use, including propagation and use of bio-gas plant based on the dung of cow;

(vii) exercise supervision over Goshalas to check malafide diversions of fund provided by the Ayog or the Government and the property belonging to the Goshalas and other voluntary organisations and bring to the notice of the Government specific instances for appropriate action;

(viii) develop pastures and associate with other institutions and bodies, whether private or public, for the said purposes;

(ix) apply for and obtain tracts of land from the Government or other persons by way of allotment, gift, lease or purchase for the purposes of developing pastures or growing fodder, establishing fodder banks, Goshalas and such other constructions thereon as may be necessary for the purposes of this Adhyadesh;

(x) educate, campaign and make people aware about the economic benefits which can be derived out of cow;

(xi) Procure fodder and make it available for the cow in the areas affected by famine, drought or other natural calamities and set up camps for the aforesaid purpose in such affected areas.

(xii) work in collaboration with Agricultural Universities or the organisations of the Government engaged in the task of research in the fields of breeding and rearing cow and the organic manure or biogas and collaborate with research projects of Indian System of Medicine conducted by various public or private organisations for conducting research on the biogenic products of the cow for Medicinal purposes ;

(xiii) assist Goshalas in their efforts in producing pedigreed bulls of indigenous species of cow and for procuring fodder and assist in relocation of existing Goshalas, at places where plenty of fodder and water is easily available ;

(xiv) promote schemes to encourage use of organic manure and recommend to the Government suitable measures including incentive schemes for use of dung or urine of cow as organic manure and pesticides by farmers to minimise the use of chemical fertilizers and pesticides and encourage manufacturing and use of recently developed bullock driven agricultural implements and carts ;

(xv) undertake fodder development schemes ;

(xvi) take into custody the abandoned, stray, rescued, confiscated or seized cows from the concerned local bodies, other competent authorities or courts after due authorisation in accordance with law for the time being in force and maintain them or get them maintained properly ;

(xvii) formulate and submit schemes for consideration of the Government for the establishment of cottage industries in the rural areas, based on cow milk, cow dung, cow urine, energy generation by draught power of bullocks and biogas product of cow as also based on hides or bones of the naturally dead cow for the purposes of manufacturing various products ;

(xviii) organise demonstrations, meetings and seminars pertaining to development of indigenous species of cow, organic farming developed bullock-driven agricultural implements and carts and arrange for publicity and extension programmes regarding benefits from cow through Television, Radio, seminars, meetings and demonstrations and publish and distribute their video-audio cassettes and literature ;

(xix) make available training facilities regarding cattle rearing and their management to the managers and staff of Goshalas or other non-governmental organisations ; and

(xx) examine any other matter that may be referred to it by the Government and submit its report thereon.

(2) In order to enable the Ayog to perform the functions under this Adhiniyam, the Ayog —

(a) shall have the same powers which a court has under the Code of Civil Procedure to compel any person to be present and give statement on oath, to compel any person to produce records or books of accounts, to issue commission to record statement of any person and to inspect any records or books of account ;

(b) may constitute committees at different levels consisting of official and non-official members and may issue directions from time to time to them and supervise their work ;

(c) may, with the prior approval of the Government, issue identity card to a person designating him as an Honorary Gorakshak in such form and for such period and for the purposes of pursuing such part-time activities relating to cow as may be prescribed ;

(d) shall review various Acts in force in the State pertaining to cow and the rules made thereunder and may recommend amendments therein.

(3) The Government may provide adequate force to the Commission if so required by it for efficient discharge of its functions under this Adhiniyam.

Grants by the State Government

12. (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Adhiniyam.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Adhiniyam and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in subsection (1).

Accounts and Audit

13. (1) The Ayog shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Ayog shall be audited by such auditor and at such intervals as may be prescribed.

(3) The auditor shall have such powers of requiring the production of books, accounts, vouchers and other documents and papers for inspecting any of the offices of the Ayog as may be prescribed.

Annual report

14. The Ayog shall prepare annual report for each financial year, in such form and at such time, as may be prescribed giving a full account of its activities during the financial year and forward a copy thereof to the Government.

Annual report and audit report to be laid before the State Legislature

15. The Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Ayog under section 11, and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such advice, and the audit report to be laid, as soon as may be, after they are received, before both the Houses of the State Legislature.

Chairperson, Members and employees of the Ayog to be public servant

16. The Chairperson, Members and employees of the Ayog shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Fund of the Ayog

17. (1) The Ayog shall have its own fund and all receipts of the Ayog shall be credited thereto and all payments by the Ayog shall be made therefrom.

(2) The Ayog may—

(a) accept grants, subventions, donations and gifts from the Government or a local authority and private or public trusts and individuals; and

(b) receive loans from the commercial banks or any other financial institutions for all or any of the purposes of this Adhiniyam.

(3) All monies belonging to the fund of the Ayog shall be deposited in such manner as may be prescribed.

(4) Accounts of the Ayog in the banks shall be operated by such officers or functionaries of the Ayog jointly or individually as may be authorised by the Ayog.

Application of Fund and property of the Ayog

18. (1) All properties, funds and other assets of the Ayog shall be held and applied by it for the purposes of this Adhiniyam.

(2) No proposal involving financial implications shall be approved, sanctioned or implemented by the Ayog unless such proposal is first examined by a Finance Committee duly constituted in the manner as may be prescribed.

Directions by the Government

19. (1) In the discharge of its function, the Ayog shall be guided by such directions on a question of policy as may be given to it by the Government.

(2) If any dispute arises between the Government and the Ayog as to whether a question is or is not a question of policy, the decision of the Government shall be final.

20. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Adhiniyam or the rules made thereunder.]

Protection of action taken in good faith

21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Adhiniyam, the Government may, by a notified order, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Adhiniyam as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

Power to remove difficulties

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Adhiniyam.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the Government under any Uttar Pradesh Act.

22. The Ayog may, with the prior approval of the Government, make regulations consistent with this Adhiniyam and the rules made thereunder.

Power to make regulations

23. The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Adhiniyam.

Power to make rules

U.P. Ordinance no. 20 of 1998

24. (1) The Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog Adhyadesh, 1998 and the Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 1999 is hereby repealed.

Repeal and savings

U.P. Ordinance no. 3 of 1999

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,  
Y. R. TRIPATHI,  
Pramukh Sachiv.